सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 420.46 लाख रुपए की राशि (कुल का 50 प्रतिशत) दे दी गई। यह व्यवस्था 1966-67 में भी जारी रही, जब 250 लाख रुपये के कुल खर्च के विपरीत लगभग 125 लाख रुपए की रकम केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई।

राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि तृतीय प्लान के आरम्भ से चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक, कलकत्ता मैट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट संबंधी विभिन्न विकास कार्यक्रमों की कुल आऊटले, लगभग 55.24 करोड़ रुपए है (जिसमें 20 करोड़ रुपये की विशेष पूल की व्यवस्था भी शामिल है)। चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने 2.3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय किया है।

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने, कलकत्ता मैट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट में, पानी सप्लाई, सीवरेज तथा ड्रेनेज। यातायात एवं परिवहन, गंदी बस्तियों में सुधार, आवास तथा नगर-विकास, और अन्य योजनाओं के लिए, चौथी योजना में, 43.38 करोड़ के परिव्यय (आऊटले) का प्रस्ताव किया है।

फरका बैराज पहले ही से तैयारी की अवस्था में है और इसके पूरा हो जाने पर, जिले में पीने के पानी की सप्लाई की स्थिति तथा कलकत्ता बन्दरगाह की सुविधाओं के भी सुधरने की आशा है। कलकत्ता पोर्ट पर दबाव को कम करने के लिए हाल्दिया का विकास एक वैकल्पिक बन्दरगाह के रूप में किया जा रहा है। भारत सरकार हाल्दिया टाउनशिप के लिए विकास प्लान की तैयारी हेतु शत प्रतिशत सहायता के अनुदान की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने पहले ही विकास के नियंत्रण के लिए एक कानून पास कर दिया है तथा मैट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एवं सेनीटेशन प्राधिकार (आथोरिटी) स्थापित करने के लिए एक अन्य कानून बना दिया है।

Merger of Dearness Allowance with Pay

*370. SHRI P. C. ADICHAN :
SHRI HIMATSINGKA :

SHRI S. K. TAPURIAH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the financial benefits that are likely to accrue to the different categories of employees as a result of the merger of Dearness Allowance with the pay of the Central Government employees at different stages of service ; and

(b) the additional expenditure likely to be incurred by Government on this account annually ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) The financial benefits to the Government employees as a result of the treatment of a portion of dearness allowance as dearness pay, are related not only to the actual pay drawn by them but also to the place of duty and other factors, such as, whether they are in occupation of Government accommodation or not.

Generally, employees would be benefited by increase in pension, gratuity, and contributory provident fund. The compensatory allowances admissible to them like House rent allowance, compensatory (city) allowance, project allowance, remote localtty allowance, bad climate allowance, hill compensatory allowance, including winter allowance will increase, except for those whose pay including dearness pay, would now cross the limits laid down for eligibility of these allowances.

(b) The exact amount of additional expenditure is difficult to assess. On a rough estimate, the extra expenditure has been worked out to be Rs. 17.35 crores per annum. In respect of pensionary benefits this figure is likely to increase at the rate of about 1.02 crores per year from the 3rd year onward stabilising after about 10-20 years.

विदेशी विनियोजन

*371. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न उद्योगों में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है;

(ख) लाभ के रूप में विदेशी कम्पनियां प्रति वर्ष कितनी राशि विदेशों को भेजती हैं;

(ग) क्या विदेशी पूंजी देश में विनियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई विशेष नीति अपनायी है; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में कारबार में लगाई गई विदेशी पूंजी की बकाया रकम के सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े मार्च, 1965 के अन्त के हैं। एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि विभिन्न उद्योगों में मार्च, 1965 के अन्त में मोटे तौर पर कितनी-कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई थी और इसके बाद कितनी-कितनी विदेशी पूंजी लगाने की मंजूरी दी गई है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-264/69]

(ख) 1991-62 से 1967-68 तक के वर्षों में लाभ, संचित लाभ और लाभांशों के रूप में विदेशों को भेजी गयी रकमों का एक विवरण लोक सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT 264/69]

(ग) और (घ). सरकार की नीति यह है कि भारत में, ऐसे उपयोगी औद्योगिक क्षेत्रों में चुनाव के आधार पर, विदेशी पूंजी लगाये जाने को प्रोत्साहन दिया जाय, जिन के लिए देश में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक जानकारी उपलब्ध न हो या जिनके लिए आवश्यक पूंजी-गत साजसामान देश में तैयार न किया जाता हो। इस सम्बन्ध में सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी विशेष प्रायोजना में एक बार विदेशी पूंजी लगाने की मंजूरी देने के बाद, फिर उसके सम्बन्ध में कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जायेगा, विदेशी निवेशकों को करों की अदायगी के बाद अपने लाभ और लाभांश की रकम बाहर भेजने की स्वतंत्रता होगी और उन्हें अपनी पूंजी को वापस ले जाने की भी इजाजत होगी।

पूर्वी अफ्रीका के देशों से लौटे भारतीयों द्वारा विनियोजन

*372. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी अफ्रीका के देशों से लौटे भारतीयों को भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु, विदेशों से सभी प्रकार की मशीनें लाने की अनुमति दी है अथवा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किसी तरीके से;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है कि वे लोग अपने साथ ऐसे विशेष उद्योगों के लिए जो विदेशी मुद्रा के अभाव में इस देश में स्थापित नहीं किये जा सकते, मशीनरी लायें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्य-वाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). पूर्वी अफ्रीका से स्वदेश बसने के लिए लौटने वाले व्यक्तियों को रियायतें देने का अभिप्राय निश्चित रूप से यही है कि वे अपना माल स्वदेश ला सकें। जो मशीनरी उनकी मालिकी की थी और उनके इस्तेमाल में थी, उस सब को आयात लाइसेंस बिना लाने की इजाजत दी गई है। पहले पहल ये रियायतें 1964 के शुरू में दी गई थीं तथा स्वदेश बसने के लिए लौटने वालों को किसी प्रकार की कठिनाइयां न होने देने के लिए उनको इस्तेमाल में न लायी गई ऐसी सब नई मशीनरी बिना आयात लाइसेंस लाने की अनुमति भी दी गई जिसके लिए उन्होंने 31 दिसम्बर, 1963 को अथवा इससे पहले आर्डर दे दिया था। शुल्क से छूट केवल तब दी जाती है, जब मशीनरी का मूल्य 16,000 रुपये से कम हो।

अन्य नयी मशीनरी के आयात के मामले में